178

संख्या-2/बी०एल०-1024/96 श्र० नि०- 16
बिहार सरकार,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय । ।

प्रेषक,

श्री के० अरूमुगम,
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी/उपायुक्त ।

पटना, दिनांक- 10/7/96

विषय:- बन्धुआ मजदूर उन्मूलन एवं पुर्नवास योजना अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमिटी तथा निगरानी समिति की बैठक नियमित रूप से आहुत करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि बन्धुआ मजदूर उन्मूलन एवं पुर्नवास कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु जिला स्तरीय निगरानी समिति तथा स्क्रीनिंग कमिटी का गठन क्रमशः विभागीय अधिसूचना संख्या 13/बी०एल०-3049/89 श्र० नि०-702 दिनांक 29-6-89 एवं 2/बी०एल०-1047/91 श्र० नि०-160 दिनांक 14-5-92 द्वारा किया गया है । साथ ही यह भी निदेश दिया गया था कि इन समितियों की बैठक प्रत्येक तीन माह पर अनिवार्य रूप से बुलाकर योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाय परन्तु सरकार यह महसूस कर रही है कि जिला स्तर पर गठित इन समितियों की बैठक नियमित रूप से नहीं बुलायी जाती है । फलस्वरूप बन्धुआ मजदूर उन्मूलन कार्यक्रम का कार्यान्वयन एवं प्रभावकारी रूप से नहीं हो पा रहा है ।

अतः अनुरोध है कि इस योजना के अन्तर्गत गठित समितियों की बैठक नियमित रूप से आहुत की जाय तथा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाय । तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन सरकार को नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय ।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर)
। के० अरूमुगम ।
आयुक्त एवं सचिव ।